RAJ RISHI BHARTRIHARIMATSYA UNIVERSITY, ALWAR

(Temporary Office : Girls Hostel Building, BabuShobha Ram Govt. Arts College Campus, Alwar)
Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321
Website: www.rrbmuniv.ac.in, Academic-II :rrbmuniv.acad2@gmail.com

No. RRBMU/Al/Acad-II/2024/ 194 Date : 13/3/2024

NOTIFICATION

The process for submission of affiliation form of the affiliated colleges within the jurisdiction of the **Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar** for the academic session **2024-25** is going to be started **from the date of 13 March, 2024. The details of which are available** on the University Website **www.rrbmuniv.ac.in.** The following dates for submission of affiliation form of the affiliated colleges are as follows :-

Schedule of Submission of affiliation forms :

S.No.	Process of off line submission of affiliation forms for the academic session 2024-25	Submission of affiliation forms along with Online Submitted fee receipt for the session 2024-25
1	Last date for off line submission of affiliation forms by the colleges without late fee.	**13 March, 2024 to 15 April, 2024**
2	With penalty equal to affiliation fee and late fee of Rs. 500/- per course/subject for off line submission of affiliation forms by the colleges.	**16 April, 2024 to 25 April, 2024**
3	With penalty equal to double of affiliation fee and late fee of Rs. 1000/- per course/subject for off line submission of affiliation forms by the colleges.	**26 April, 2024 to 30 April, 2024**

A. **Affiliation fee Structure for the academic session 2024-25 is as follows :-**

S.No.	Name of Courses	Affiliation Fee Structure	Affiliation Fees for the Session 2023-24
1.	B.A./B.Sc./ B.Com./ Pass/Hons Course (Part-I)	UG Seats granted ≤500	1,09,130/- Per Course
		UG Seats granted form 501 to 1000 with 25% Increase of Basic fee	1,36,420/- Per Course
		UG Seats granted form 1001 to 1500 with 50% Increase of Basic fee	1,63,700/-Per Course
		UG Seats granted form 1501 to 2000 with 75% Increase of Basic fee	1,90,980/- Per Course
2.	B. A./B.Sc./B.Com. Pass/Hons. Course **For Per Additional Subject**	---	Rs. 35,440/- Per Course
3.	M.A./M.Sc./M.Com./M.Mus.	---	Rs. 35,440/- Per Course
4.	BBA/BCA	UG Seats granted ≤ 500	Rs. 2,04,620/- Per Course
		UG Seats granted from 501 to 1000 with 25% increase of Basic fee	Rs. 2,55,780/- Per Course
		UG Seats granted from 1001 to 1500 with 50% increase of Basic fee	Rs. 3,06,930/- Per Course
		UG Seats granted from 1501 to 2000 with 75% increase of Basic fee	Rs. 3,58,090/- Per Course
5.	PG Diploma/Certificate Course		Rs. 1,36,420,/- Per Course

6.	B.Ed./M.Ed.		Rs. 1,32,880/- Per Course (Per Unit of 50 Students) (Per Unit of 30 Students in B.Ed. Spl.)
7.	B.A.-B.Ed. Four Year Integrated Course . B.Sc.-B.Ed. Four Year Integrated Course .		Rs.2,01,320/- Per Course (Per Unit of 50 Students)
08.	Permanent Affiliation (Only for Govt. Colleges)	Four times of the normal affiliation and Inspection fee as per resolution by No. 18 dated 07.10.2014 Univ. of Rajasthan	Four times of the Basic Fee
09.	Research Centre Note :-Application form for affiliation of Research Centre is invited from only Government/Affiliated colleges whose P.G. subjects approved as permanent affiliation by the University.		Rs. 40,270/-
10.	Shifting of College/Change in Name/Merger	_	66,550/-

Notes:-

1. **The affiliation fees may be submitted online through link on the website <u>www.rrbmuniv.ac.in</u> or through RTGS/NEFT.**
2. The college will have to deposit enhanced endowment fund as per clause 3.2.2 of UGC Regulation 2009 i.e.Rs. 15 Lakh FDR per programme for Arts, Science & Commerce Faculty and Rs. 35 Lakh FDR per programme for Professional course for fresh, extension and permanent affiliation. The College will deposit enhanced endowment fund if the final judgment of the of Hon'ble High Court of Rajasthan, out comes in favour of University of Rajasthan, Jaipur till date norms for endowment fund may be applicable as per previous norms laid down. The deposition of FDR as per previous norms will subject to de-affiliation irrespective of Inspection Report.
3. **The Cost of affiliation form Fresh/Extension/Increase Intake will be Rs. 1330/- per affiliation form and Rs. 6650/- per form for Permanent affiliation.**
4. **The 18% GST (9% CGST& 9% SGST) is required to be deposited through separate DD's of different session on the total Affiliation fees by college according to the final decision of the notice DGGSTI/JZU/INV/ST/12/2017-18/PT-III/3273 Dated 23-07-2019 of the GST Department.**
5. For Extension of Provisional Affiliation fee will be charged 50% amount as per above chart for B.A., B.Sc., B.Com., Pass/Hons. Course, M.A., M.Sc., M.Com. For other Professional Courses, full fee will be charged.
6. Section –Wise Increase Intake affiliation fee will be charged as per Section wise i.e. Rs. 88,580/- per Section.
7. The Colleges applying for Extension of Provisional Affiliation /fresh /increase intake/additional subjects/permanent affiliation are required to pay Inspection fee of Rs. 13,310/-. Each The inspection fee of Rs. 13,310/- will also be charged from the B.Ed. Colleges who are applying for Extension of Provisional affiliation.
8. It is also clarified that seats requested for increase intake at the time of filling of affiliation forms, may be given as per University rules & norms i.e. (After getting inspection done by the Inspection Team & Decision taken by the BOI as per University rules).
9. Re Inspection fee of Rs. 26,620/- For each Course.

10. NO Objection Certificate of the state Govt. must be submitted along with the affiliation forms.
11. The existing College will be required to fill up AISHE code. The new Colleges will apply for new AISHE Code. The College who have already taken AISHE code attach certificate.
12. It is Mandatory to submit the Proof of Sports Board fees with file for co-ed College Rs. 12000 & Girls College Rs. 6000 for session 2023-24, payble to "KHEL BOARD RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY ALWAR.
13. No application / files shall be entertained through post/speed post.
14. Colleges with Permanent affiliation are also required to apply in specific format and documents.
15. It is required to show original FDR (Endowment fund) at the time of submission of hard copy of the application/file.
16. An undertaking regarding point no. 1 is required to be submitted along with the application.
17. The University only entertain those Colleges whose Affiliation fee deposited in University through Online / NEFT/RTGS in time. Affiliation fees once deposited shall not be refunded.

Note :- After filling the separate form for U.G. &P.G. Submit the file for U.G. & P.G. Separately.

Registrar

No. : RRBMU/ALW/Academic-II/2024/ 195 – 198 Date : 13/3/2024

Copy forwarded for Information and necessary action to :-

1. The C.E./CF&FA, Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.
2. Assistant Registrar I,II. Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.
3. OIC, IT, Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.
4. P.S. to V.C. Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar.

Registrar

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर)

☎ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकादमिक-द्वितीय/2024/199 दिनांक : 13/3/2024

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में सम्बद्धता के लिए महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-पत्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश :-

1. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in पर स्थित लिंक के माध्यम से फीस का भुगतान कर रसीद पत्रावली के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। भुगतान संबंधी समस्या आने पर हेल्पलाइन नं. 9829222001 या 9587884011 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
2. विश्वविद्यालय सम्बद्धता आवेदन पत्र में समस्त जानकारियों को भरकर उसकी हार्डकॉपी संस्था सचिव द्वारा सत्यापित करते हुए ऑनलाइन फीस का भुगतान होने के पश्चात् अगले कार्य दिवस में विश्वविद्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. **महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में निर्धारित दिनांक तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा महाविद्यालय के खाते से सम्बद्धता शुल्क ऑनलाइन जमा होने के पश्चात् सर्वर की तकनीकी खामी के कारण राशि महाविद्यालय के खाते में पुनः लौटने (Transaction Failed) की स्थिति में सम्बद्धता शुल्क निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क मय दण्ड व विलम्ब शुल्क देय होगा। साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय/समिति के द्वारा संचालित खाते से ही शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा।**
4. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर से सत्र 2023-24 तक सम्बद्धता प्राप्त सभी शोध केन्द्रों/स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को आवेदन करना अनिवार्य है, इस हेतु उन्हें केवल आवेदन शुल्क 1330/- रू देय होगा।
5. राज्य सरकार द्वारा जिन महाविद्यालयों के नाम/स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाकर पूर्ण भरे गए आवेदन पत्र की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
6. महाविद्यालयों द्वारा सभी विषय/पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन-पत्र PG/ UG/ B.Ed./ B.Ed. Integrated/ B.B.A./ B.C.A. का पृथक पत्रावली जमा करना सुनिश्चित करें।
7. महाविद्यालयों द्वारा नवीन विषय/पाठ्यक्रमों में (Fresh Affiliation/New Course/ Additional Subject) / स्थायी सम्बद्धता (Permanent Affiliation) /सीट अभिवृद्धि (Increase Intake)

आदि से सम्बन्धित प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के आवेदन-पत्र एवं समस्त दस्तावेज अलग-अलग पत्रावलियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.एड./एम.एड./बी.एड.-एम.एड. (तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड) के पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन-पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
9. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा बी.ए.-बी.एड./बी.एससी.-बी.एड. के पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि (Provisional Extension Affiliation) के लिए सभी आवेदन-पत्र एवं दस्तावेज एक ही पत्रावली में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. महाविद्यालय द्वारा भरे गए सम्बद्धता आवेदन-पत्र के साथ राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सोसाईटी पंजीकरण पत्र, अद्यतन एफ.डी.आर. की प्रति, भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र, भवन का एक ब्लू प्रिंट, फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पिछले दो सत्रों (2022-23 व 2023-24) के सम्बद्धता आदेश (Provisional Extension Affiliation) की प्रमाणित छायाप्रति तथा महाविद्यालयों को सत्र 2024-25 से पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की गई सम्बद्धता आदेश (नवीन/सम्बद्धता में अभिवृद्धि/सीट अभिवृद्धि आदि) के प्रमाणित आदेशें की छायाप्रति भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उसके पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय से 600/- रू. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के साथ पत्रावली जमा की जावेगी।
11. महाविद्यालयों को राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
12. महाविद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रम/विषयों की स्थायी सम्बद्धता लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय नियमानुसार करवाया जाना अनिवार्य है तथा उन प्राचार्य/व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित वेतनमान तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमानुसार पी.एफ. व ग्रेच्युटी प्रदान किए जाने से सम्बन्धित समिति के सचिव/अध्यक्ष के द्वारा शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा साथ ही अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याताओं का विवरण महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
13. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय नियमानुसार प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन करवाया जाना अनिवार्य है। प्राचार्य/व्याख्याताओं का अनुमोदन नहीं करवाये जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय का सत्र 2024-25 का सम्बद्धता ओदश जारी नहीं किया जावेगा।
14. सभी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त जानकारियां जैस-संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण/ शिक्षकों का विवरण/ प्रवेशित छात्रों की संख्या/ सोसाईटी से संबंधित सभी दस्तावेज/ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश/ एन.सी.ई.टी. का मान्यता पत्र (जो भी लागू हो) को प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है एवं जिन महाविद्यालयों की वेबसाइट बनी हुई नहीं है, उन्हें वेबसाइट तैयार कर उक्त जानकारियों व आवेदन पत्र तथा तैयार करवाई गई वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के प्रिन्ट को पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15. सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता यू.जी.सी./ राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (NCTE)(जो भी लागू हो) के नियमानुसार होगी। प्राचार्य के अनुमोदन हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडीकेट की बैठक दिनांक 18.02.2010 निश्चय संख्या 4 के निर्णयानुसार अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष तक (यदि अनुमोदित है तो) तथा व्याख्याताओं की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक मान्य होगी।

16. सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालयों को आवेदन पत्र के साथ उन्हें सत्र 2023-24 तक जारी समस्त (Fresh Affiliation/ Permanent Affiliation/ Increase Intake/ Additional Subject Order) की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. महाविद्यालय इस आशय का निर्धारित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा (राशि 100/- का नॉन ज्यूडिशियल) जिसमें यह उल्लेख हो की एक भूमि एवं भवन के आधार पर एक से अधिक महाविद्यालय /विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं की है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार/**NCTE** (जो भी लागू हो) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना की गई है।

18. विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र व संलग्न समस्त दस्तावेजों को सचिव द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तथा यदि उनमें कोई असत्यता पाई जाती है तो उनके लिये संस्था सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगें तथा सम्बद्धता आवेदन पत्र भरने से सम्बन्धित समस्त जानकारियां/सूचनांए उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध है।

(कैप्टन फैलीराम मीणा)
कुलसचिव
दिनांक : 13/3/2024

क्रमांक : राऋभमवि/अल/ अकादमिक-द्वित्तीय/2024/ 200 — 205

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. प्रभारी अधिकारी, अकादमिक-द्वित्तीय अनुभाग।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अुनभाग।
4. लेखा शाखा।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय।
6. रक्षित पत्रावली।

(कैप्टन फैलीराम मीणा)
कुलसचिव